(TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA PART-I SECTION-1)

Government of India/Bharat Sarkar
Ministry of Education/Siksha Mantralaya
Department of Higher Education/Uchchatar Siksha Vibhag
ICR Division

Shastri Bhavan, New Delhi
Dated: 02nd July, 2025

NOTIFICATION

No.10-8/2017-U.3(A) – Whereas, Indian Institute of Foreign Trade (IIFT), New Delhi was declared as an Institution deemed to be University by the Central Government, vide Notification No.9-31/2001-U.3(A) dated 20.05.2002, on the advice of UGC, under Section 3 of the UGC Act, 1956.

2. **And whereas**, UGC notified the UGC (Institutions deemed to be Universities) Regulations, 2023 to regulate the deemed to be Universities. Clause 8 (7) of the UGC Regulations, 2023 provides that on the basis of the advice of the Expert Committee, the Commission shall render its advice to the Government to consider the approval of any such off-campus which was operating before the commencement of these regulations on a case-to-case basis, and to validate the degrees of each programme for the passed-out students, if they fulfil the basic eligibility conditions required for starting the off-campus centre.

3. **And whereas**, UGC, vide letter dated 17.06.2025, informed that the off campus of IIFT, New Delhi at Kakinada is already functional from 2022. Therefore, the proposal already submitted by IIFT, New Delhi (no requirement of fresh proposal) was examined through an Expert Committee as per Clause 8(7) of UGC Regulations, 2023. The Committee, after overall assessment, recommended that the UGC may advise the Ministry of Education that ex-post facto approval for the off-campus of the IIFT, New Delhi at Kakinada and validation of the degrees of the students passed out from 2022-23 may be considered, if it rectifies the deficiencies pointed out by the committee. The recommendations were approved by the Commission in its 583rd meeting (Item No. 2.03) held on 27.08.2024. Further, UGC, vide letter dated 19.09.2024, requested the Institution to submit compliance report in respect of the conditions pointed by the Expert Committee.

4. **And further whereas,** the compliance report submitted by the Institution was placed before the Expert Committee for consideration. The Expert Committee accepted the compliance report submitted by the Institution. The entire matter was placed before the Commission in its 590th meeting (Item No. 2.08) held on 14.05.2025. The Commission considered and approved the recommendation of the UGC Expert Committee.

पृ.ति.व

5. **Now, therefore**, in exercise of the powers conferred under Section 3 of the UGC Act, 1956, the Ministry of Education, on the advice of UGC, hereby accords ex-post facto approval to Indian Institute of Foreign Trade (IIFT) (deemed to be University), New Delhi for starting an off-campus at Kakinada, Andhra Pradesh w.e.f. the year 2022.

6. All other conditions mentioned in the earlier Notification(s) of this Ministry as well as the Rules / Regulations of UGC and other Statutory Councils, issued from time to time, shall continue to be adhered by IIFT, New Delhi.

This issues with the approval of Competent Authority.

पुकिबनर्जी

(Purnendu Kishore Banerjee)
Joint Secretary to the Government of India
Tel: +91 11 2338 3432

The Manager,
Government of India Press,
Minto Road, New Delhi – 110002.

Copy forwarded to:

1. The Secretary, Ministry of Commerce & Industry, Government of India
2. The Secretary, University Grants Commission, Bahadurshah Zafar Marg, New Delhi.
3. The Vice-Chancellor, Indian Institute of Foreign Trade, New Delhi.
4. The Secretary, Department of Technical & Higher Education, Government of Andhra Pradesh.
5. The Member Secretary, All India Council for Technical Education (AICTE), Nelson Mandela Marg, Vasant Kunj, New Delhi-110070.
6. Press Information Bureau, Shastri Bhawan, New Delhi.
7. The Secretary General, Association of Indian Universities, AIU House, 16, Kotla Marg, New Delhi-2.
8. Web Master, Department of Higher Education, Shastri Bhavan, New Delhi. It is requested that CMIS Unit may kindly be instructed to display the Notification on the website (Home site) of the Department.
9. Guard file / Notification file.

(Jyoti Ranjan)
Under Secretary to the Government of India
Tel: +91 11 2338 1578

(भारत के राजपत्र भाग-I खण्ड-1 में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय
उच्चतर शिक्षा विभाग
आईसीआर प्रभाग

शास्त्री भवन, नई दिल्ली
दिनांक: 02 जुलाई, 2025

अधिसूचना

सं.10-8/2017-यू.3(ए) - जबकि, भारतीय विदेश व्यापार संस्थान (आईआईएफटी), नई दिल्ली को यूजीसी अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत यूजीसी की सलाह पर दिनांक 20.05.2002 की अधिसूचना संख्या 9-31/2001-यू.3(ए) के तहत केन्द्र सरकार द्वारा एक सम विश्वविद्यालय संस्थान घोषित किया गया था।

2. **और जबकि**, यूजीसी ने सम विश्वविद्यालयों को विनियमित करने के लिए यूजीसी (सम विश्वविद्यालय संस्थान) विनियम, 2023 को अधिसूचित किया। यूजीसी विनियम, 2023 के खंड 8 (7) में प्रावधान है कि विशेषज्ञ समिति की सलाह के आधार पर आयोग सरकार को सलाह देगा कि वह इन विनियमों के लागू होने से पहले संचालित किसी भी ऑफ-कैंपस को अनुमोदन देने पर मामला दर मामला आधार पर विचार करे और यदि वे ऑफ-कैंपस केंद्र शुरू करने के लिए अपेक्षित बुनियादी पात्रता शर्तों को पूरा करते हैं, प्रत्येक कार्यक्रम में उत्तीर्ण छात्रों की डिग्री को मान्य करे।

3. **और जबकि**, यूजीसी ने दिनांक 17.06.2025 के पत्र के माध्यम से सूचित किया कि काकीनाडा में आईआईएफटी, नई दिल्ली का ऑफ कैंपस वर्ष 2022 से ही कार्यरत है। इसलिए, आईआईएफटी, नई दिल्ली द्वारा पहले से प्रस्तुत प्रस्ताव (नए प्रस्ताव की कोई आवश्यकता नहीं) की यूजीसी विनियम, 2023 के खंड 8(7) के अनुसार एक विशेषज्ञ समिति के माध्यम से जांच की गई थी। समिति ने समग्र मूल्यांकन के बाद सिफारिश किया कि यूजीसी शिक्षा मंत्रालय को सलाह दे सकता है कि यदि यह समिति द्वारा उल्लिखित कमियों का सुधार करता है तो काकीनाडा में आईआईएफटी, नई दिल्ली के ऑफ-कैंपस को कार्योत्तर अनुमोदन और वर्ष 2022-23 से उत्तीर्ण छात्रों की डिग्री के सत्यापन पर विचार किया जा सकता है। समिति की सिफारिशों को आयोग द्वारा दिनांक 27.08.2024 को हुई अपनी 583वीं बैठक (मद संख्या 2.03) में अनुमोदित किया गया था। इसके अलावा, यूजीसी ने दिनांक 19.09.2024 के पत्र के माध्यम से संस्थान से अनुरोध किया कि विशेषज्ञ समिति द्वारा बताई गई शर्तों के संबंध में अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

4. **और इसके अलावा जबकि,** संस्थान द्वारा प्रस्तुत अनुपालन रिपोर्ट को विशेषज्ञ समिति के समक्ष विचारार्थ रखा गया। विशेषज्ञ समिति ने संस्थान द्वारा प्रस्तुत अनुपालन रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया। दिनांक 14.05.2025 को हुई आयोग की 590वीं बैठक (मद संख्या 2.08) के समक्ष पूरा मामला

प्रोफेब

प्रस्तुत किया गया। आयोग ने यूजीसी की विशेषज्ञ समिति की सिफारिश पर विचार किया और उसे अनुमोदित किया।

5. **अब, इसलिए,** यूजीसी अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, शिक्षा मंत्रालय, एतदद्वारा यूजीसी की सलाह पर, भारतीय विदेश व्यापार संस्थान (आईआईएफटी) (सम विश्वविद्यालय), नई दिल्ली को वर्ष 2022 से काकीनाडा, आंध्र प्रदेश में एक ऑफ-कैंपस शुरू करने हेतु कार्योत्तर अनुमोदन प्रदान करता है।

6. इस मंत्रालय की पूर्व अधिसूचनाओं तथा समय-समय पर जारी यूजीसी और अन्य सांविधिक परिषदों के नियमों/विनियमों में उल्लिखित अन्य सभी शर्तों का आईआईएफटी, नई दिल्ली द्वारा पालन किया जाना जारी रहेगा।

इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

पूर्णेंदु किशोर बनर्जी

(पूर्णेंदु किशोर बनर्जी)
संयुक्त सचिव, भारत सरकार
टेलीफोन: +91 11 2338 3432

प्रबंधक,
भारत सरकार मुद्रणालय,
मिंटो रोड, नई दिल्ली - 110002.

<u>प्रति प्रेषित:</u>

1. सचिव, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार
2. सचिव, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, बहादुरशाह जफर मार्ग, नई दिल्ली।
3. कुलपति, भारतीय विदेश व्यापार संस्थान, नई दिल्ली।
4. सचिव, तकनीकी एवं उच्चतर शिक्षा विभाग, आंध्र प्रदेश सरकार।
5. सदस्य सचिव, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई), नेल्सन मंडेला मार्ग, वसंत कुंज, नई दिल्ली-110070।
6. प्रेस सूचना ब्यूरो, शास्त्री भवन, नई दिल्ली।
7. महासचिव, भारतीय विश्वविद्यालय संघ, एआईयू हाउस, 16, कोटला मार्ग, नई दिल्ली-2।
8. वेब मास्टर, उच्चतर शिक्षा विभाग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली। अनुरोध है कि सीएमआईएस इकाई को कृपया विभाग की वेबसाइट (होम साइट) पर अधिसूचना प्रदर्शित करने का निर्देश दिया जाए।
9. गार्ड फाइल/अधिसूचना फाइल।

रंजन

(ज्योति रंजन)
अवर सचिव, भारत सरकार
टेलीफोन: +91 11 2338 1578